राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 22(303) परि/प्रवर्तन/ 2017/413 (SDRI) जयपुर, दिनांक : 07-06-2019

कार्यालय आदेश संख्या 09 /2019

ओवरलोड भार लेकर संचालित होने वाले भार वाहनों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के लिए पूर्व में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश 06/2010 दिनांक 05.02.2010 एवं 07/2018 दिनांक 19.02.2018 जारी किए गए थे परन्तु अवैध खनन कर बजरी, पत्थर एवं अन्य ओवरलोड भार लेकर संचालित करने वाले भारवाहन/ट्रेक्टर–ट्रोलियों के वाहन स्वामी/चालक विभागीय जांच व कार्यवाही से बचने की मंशा से समूह बनाकर एक साथ संचालित होते है, तथा जांच के दौरान उडनदस्ते द्वारा रोकने का इशारा करने पर तेज गति से खतरनाक तरीके से भगाकर ले जाते है जिससे ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही नहीं हो पाती है।

अतः इस क्रम में सभी उडनदस्तो को निर्देशित किया जाता है कि जांच के दौरान ओवरलोड भार वाहनों/ट्रेक्टर–ट्रोलियों को जांच हेतु रोकने का इशारा करने पर नहीं रूकने वाले वाहनों की फोटो लेकर वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184, 194 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय के इस्तगासा प्रस्तुत करते हुए संबंधित वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध कार्यालय आदेश 06/2010 दिनांक 05.02.2010 एवं 07/2018 दिनांक 19.02.2018 के अन्तर्गत कार्यवाही कर वाहन को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर ब्लॉक किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक : प. 22(303) परि/प्रवर्तन/ 2017/ 413 जयपुर, दिनांक : 07-06-2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन)

Scanned by CamScanner